Steps taken by Government for revival of sick industril units

The Government have enacted a comprehensive legislation namely 'The Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985'. A quasi-judicial body designated as 'The Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR)' has been set up under the Act to deal with the problems of the sick industrial companies in an effective manner, which has become operational with effect from the 15th May, 1987.

(2) The Reserve Bank of India have issued guidelines to the banks for strengthening the monitoring systems and for arresting industrial sickness at the incipient stage so that corrective measures are taken in time.

(3) The banks have also been directed by the Reserve Bank of India to formulate rehabilitation package for the revival of potentially viable units. The banks & financial institutions evolve rehabilitation packages for the revival of sick units.

(4) Reserve Bank of India have also issued guidelines separately to the banks indicating parameters within which banks could grant reliefs and concessions for rehabilitaiton of potentially viable sick units without reference to RBI both in the large and small scale sector.

(5) Revival of sick industrial units is also done by amalgamation/merger of sick units with healthy units. Tax benefits are given under Section 72A of the Income Tax Act, 1961 to the healthy company for revival of the amalgamating sick unit.

(6) Government has set up the National Renewal Fund which would, *inter-alia*, provide for payment of compensation to workers affected by industrial restructuring.

(7) On the advice of the Government of India, Reserve Bank of India has set up State Level Inter-Institutional Committee (SLIICs) in all States under the Chairmanship of Secretary, Industries Department of the concerned State Governments for working out a rehabilitation package for revival of viable sick small scale untis.

(8) Financial assistance in the form of long term equity type assistance upto Rs. 1,50,000/- to units with a project cost not exceeding Rs. 10 lakhs at a nominal service charge of one per cent per annum is also available to potentially viable sick small scale industrial units from the National Equity Fund set up in August, 1987.

(9) Small Industries Development Bank of Inddia (SIDBIL) has been established to function as an Apex Bank for tiny and small scale industries.

A separate Refinance Scheme for Rehabilitation (RSR) is being managed by SIDBIL for revival of potentially viable sick small scale industrial units.

Dumping of toxic Pepsi bottles

2375. SHRIMATI KAMLA SINHA:
DR. BAPU KALDATE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the dumping of toxic Pepsi bottles in the country and their processing under unsafe conditions; and

(b) if so, what steps have been taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

आइसक्रीम, ब्रेड और बिस्कुट को आरक्षित सूची से हटाना

2376. **श्री राम जेठमलानी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आइस क्रीम, ब्रैड तथा बिस्कुट इत्यादि का

उत्पादन कार्य लघु उद्योगों के लिये आरक्षित था जैसा कि सरकार ने निर्धारित किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अब सरकार इन उपरोक्त वस्तुओं के उत्पादन-कार्य को आरक्षित सूची से हटाने पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार उद्योग नीति में परिवर्तन करके दैनिक आवश्यकता के अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन-कार्य को गैर-आरक्षित सूची में सम्मिलित करने पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त वस्तुओं के उत्पादन-कार्य के संबंध में नीति परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) सरकार को आइसक्रीम, बिस्कुट जैसी कुछ खाद्य मदों का अनारक्षण करने के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं । ये प्रस्ताव विचाराधीन हैं । किन्तु इन मदों का अनारक्षण करने के लिये अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ङ) आरक्षित मदों के उत्पादन से संबन्धित नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

खादी और ग्रामोद्योग के विकासार्थ सहायता

2377. **श्री अजीत जोगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग के विकासार्थ देश के विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि की सहायता दी गई ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश को 1991–92, 1992–93 और 1993–94 में खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिये प्रदान की गई अनुदान की राशि वर्ष 1989–90 और 1990–91 में प्रदान की गई राशि से कम है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) (क) वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दी गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं । **(नीचे देखिए)** । ये ब्यौरे खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर हैं ।

(ख) जी, नहीं । मध्य प्रदेश को 1989–90 और 1990–91 के दौरान दी गई सहायता राशि क्रमशः 425.97 लाख रु० और 250.87 लाख रु० है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास के लिए 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को धनराशि का विवरण ।

(लाख रु० में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1991–92	1992–93	1993–94
1	आंध्र प्रदेश	1049.41	1276.58	992.65
2	अरुणाचल प्रदेश	—	2.37	33.88
3	असम	118.50	102.22	115.12